


18.12.23

पत्रावली पेश हुई। वकील वारी या वारी  
क्षेप उपस्थित नहीं। बार-बार प्रमाण लगाने पर  
भी उपस्थित नहीं हुए। वतः वारी का प्रह वारपत्र  
ब्राम पैरवी - अदम हाजिरी में इसी स्तर पर लगी  
क्रिया जाता है। पत्रावली बाद तुरतीव तकमील  
लेकर दाखिल दफ्तर है।

निवेदन लिखा जाकर तुले न्यायालय में  
दुनाया गया।

  
(अमिता बिश्नोई)  
R.A.S.